न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या–16/2023

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023/19

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
ढगलाराम पुत्र बालूराम जाट, निवासी सुरपुरा तहसील मेड़ता वर्तमान तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।		1. नायब तहसीलदार, रियांबड़ी जिला नागौर 2. शंकरलाल पुत्र बालूराम जाट निवासी सुरपुरा तहसील मेड़ता वर्तमान तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया उपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 22.08.2023**

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा ग्राम सुरपुरा तहसील रियांबड़ी का म्यूटेशन संख्या 327 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा आदेश दिनांक 31.05.1989 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने बावजूद नोटिस तामिल के हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आदेश की पूर्व में अपीलांट को जानकारी नहीं थी और न ही राजस्व रिकार्ड को देखने का काम पड़ा था क्योंकि, अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा वह इसी विश्वास में रहा कि, न्यायालय द्वारा डिकी की पालना के लिये तहरीर जारी कर दी है जिसकी पालना में नामान्तरकरण भर गया होगा, किन्तु हाल में जब अपीलांट के केसीसी ऋण के लिये खतौनी के नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो उसे पता चला कि, उसका अलग से खाता खुला ही नहीं है अभी भी सभी सहखातेदारों के साथ ही खाता चल रहा है तब उसने तहसील कार्यालय जाकर पता किया तो उसे जानकारी हुई कि, उसका नामान्तरकरण डिकी की पालना में भरा ही नहीं गया तथा खारिज कर दिया जिसके कारण उसका खाता अलग नहीं हुआ तब तहसील से उक्त म्युटेशन की नकल लेकर एंव न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त होने पर उक्त अपील पेश की है। जो जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश की जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने मयाद की अवधि में छूट प्रदान करते हुये उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय में दायर C.A.No 4575-76/1998@ S.L.P.(c)N0.8712-13 of 1998 एन.बालकृष्णन बनाम एम.कृष्णमूर्ति में पारित

कलक्टर नागौर

निर्णय दिनांक 03.09.1998, RRT 2016(2) पेज 971, RRT 2020(1) पेज 575, RRT 2003(1) पेज 702, RRD 1994 पेज 606, RRT 2002(1) पेज 257 एवं पेज 260 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि नायब तहसीलदार का आदेश शून्य हैं,इसलिए मयाद का प्रश्न आडे नहीं आता हैं।

राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलांट ने अपील विलम्ब के मुख्य कारण अपील में नहीं दर्शाये हैं। म्यूटेशन में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.5.1989 का है,जबकि अपील दिनांक 09.01.2023 को पेश की गई हैं,यानि 33 वर्ष बाद यह अपील पेश की हैं,जो मयाद बाहर हैं।

राजपैरोकार का यह भी कथन हैं कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से प्रभावित अन्य खातेदारो को यानि न्यायालय से जारी डिक्री के सभी पक्षकारों को इस अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया हैं,इसलिए भी यह अपील खारिज योग्य हैं।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.01.2023 में अपील अपीलांट ताबेउज्र मियाद दर्ज की गई हैं। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से यह प्रकट किया हैं कि हाल ही में जब अपीलांट के केसीसी ऋण के लिये खतौनी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो उसे पता चला कि उसका अलग से खाता खुला ही नहीं हैं, अभी भी सभी सहखातेदारों के साथ ही खाता चल रहा हैं जब उसने तहसीलदार के यहा जाकर पता किया तो उसे जानकारी हुई कि,उसका नामान्तरकरण डिक्री की पालना में भरा ही नहीं गया तथा खारिज कर दिया, जिसके कारण खाता अलग नहीं हुआ तब तहसील से उक्त म्युटेशन की नकल लेकर एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त होने पर उक्त अपील पेश की जा रही है,जो जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश हैं। इसलिए मयाद की अवधि में छुट प्रदान करते हुये उक्त अपील का गुणावगुण पर निस्तारण का आदेश दिया जावें। इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपीलांट ने अपना तस्दीक सुदा शपथ–पत्र भी पेश किया हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना–पत्र में उन्हें प्रश्नगत आदेश की जानकारी कब हुई की कोई तिथि/दिनांक का कहीं पर अंकन नहीं किया हैं। अपीलांट पटवारी हल्का के पास किस दिनांक को गया,उसके बाद तहसील कार्यालय में कब गया तथा जानकारी के कितने दिनों बाद नामान्तकरण की प्रति प्राप्त करने का आवेदन पेश किया । इन सब तथ्यों को प्रकट करते हुवे अगर विधिक कारणों सहित प्रतिदिन की विलम्ब अवधि को माफ करने का निवेदन अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में किया जाता तो उस अवधि को माफ किये जाने पर विचार किया जा सकता था। प्रार्थना–पत्र में जानकारी दिवस से अपील अन्दर मयाद लिखा जाने मात्र से करीब 33 वर्ष बाद किसी आदेश की अपील मयाद में लिया जाना तथा इस प्रकार के असाधारण विलम्ब को माफ करने के विधिक कारणों का इस अपील में अभाव पाया जाता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि ठोस कारणों के अभाव में अगर इतने वर्षो की विलम्ब अवधि को माफ किया जाता हैं तो अन्य प्रभावित पक्षकारों के हित भी प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आये हैं कि मूल वाद/डिक्री के सभी हितबद्व पक्षकारों को इस प्रकरण में पक्षकार भी संयोजित नहीं किया गया हैं,इसलिए उन्हें बिना सुने इस प्रकार असाधारण विलम्ब को माफ किया जाना विधिसम्मत् भी नहीं हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश किये न्यायालय के निर्णयों का ससम्मान अवलोकन किया गया,जो अंतरिम आदेशों में विलम्ब के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित हैं के भी हैं एवं देरी का संतोषप्रद कारण से सम्बन्धित का हैं तथा प्रस्तुत नजीरों के प्रकरणों में एवं इस प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता हैं,जो इस प्रकरण में असाधारण विलम्ब पर लागू नहीं किये जा सकते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मयाद बाहर पेश की गई हैं तथा अपील विलम्ब से पेश करने तथा विलम्ब अवधि को माफ करने का पर्याप्त कारण का इस प्रकरण में अभाव पाया गया हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर